Divisional Engineer (Trans/NOFN)
O/o DGM Oprational Area, Agra
Room No. 109, Tax Bhawan,
Agra Fort, Agra – 282001
Phone No. 0562-2266277
Email: denofn.agra1@gmail.com

Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of India Enterprise)

मानक शर्तें

विषय: जनपद आगरा में आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (SH-39) के कि.मी. चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर 15.873 कि.मी लम्बाई में भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा द्वारा (NOFN प्रोजेक्ट के तहत समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने हेतु) प्रस्तावित ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में कुल 0.4762 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

(वन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक **7314/14-3-1980/82 dt.31.12.85** द्वारा निर्धारित मानक शर्तें)

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नही होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नही।
3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नही करेगा।
4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथ इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
5- हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं व्यय जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9- याचक विभाग द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।

ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

Divisional Engineer (Trans/NOFN)
O/o DGM Oprational Area, Agra
Room No. 109, Tax Bhawan,
Agra Fort, Agra – 282001
Phone No. 0562-2266277
Email: denofn.agra1@gmail.com

Bharat Sanchar Nigam Limited
(A Govt. of India Enterprise)

129

11- ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" के अतिरिक्त मुख्या अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी "उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग" द्वारा किया जायेगा कि ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में मामूली फेर बदलकर करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और ऑप्टीकल फाइबर केबिल बिछाने ही आवश्यक है।

12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपड तथा तीन वर्ष तक परिशोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15- वन भूमि में प्रस्तावित ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का भी कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

16- यदि ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में भू–रक्षण की सम्भावना होती है, और ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वंय करायेगा।

17- उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।

18- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जायें।

मैं भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

AYadav
ARVIND KUMAR
Divisional Engineer (Trans/NOFN)
Bharat Sanchar Nigam Ltd.
Tax Bhawan,Agra-282001

प्रतिहस्ताक्षरित

A Kumar
प्रभागीय [illegible]देशक
सामाजिक वानिकी [illegible]
15/4